AIDWA

विषय-सूचि

१- संपादकीय

२-तानाशाह मोदी, अन्यायपूर्ण कृषि अधिनियमों को वापस लो- - मरियम धवले

३-मंगलेश डबराल (16 मई 1948 - 9 दिसंबर 2020)

४-किसान आंदोलन: ऐतिहासिक व अविस्मरणीय'--सविता

५-आदित्यनाथ के अंतर-धार्मिक विवाह संबंधी अध्यादेश के पीछे की राजनीति- -सुभाषिनी अली

६.किसान आंदोलन की जान है महिलाओं,युवाओं और छोटे किसानों की प्रभावी महत्वपूर्ण उपस्थिति-- संध्या शैली

७-कार्यकर्ता की डायरी- -सुनीता पांडे

८ -पलवल बार्डर पर डटे हुए किसान अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति मध्यप्रदेश की भूमिका-- रीना शाक्य

९. मैं घास हुं - पाश

संपादकीय

इस संपादकीय मे हम कई बहादुर महिलाओं को याद करेंगे। दिल्ली को घेरे लाखों किसानों के बीच हजारों महिलाएं भी मौजूद हैं। वे केवल किसानो के परिवारों की नहीं हैं, वे खुद भी किसान हैं। कई तो अकेले ही अपने खेतों मे काम करती हैं और बहुत सारी अपने परिवारजन के साथ पूरी ताकत से हाथ बँटाती है। महिला किसान अधिकार मंच के अनुसार महिला किसान केवल *12*ः खेतों की मालिक हैं लेकिन वे कृषि से संबन्धित काम का *75 %* हिस्सा खुद करती हैं। मंच की कविता कुरुगंती का कहना है की चूंकि वे जमीन की मालिक नहीं हैं, इसलिए वे 'अदृश्य' रहती हैं।

एडवा की मांग रही है की महिला किसानों को भी किसान के रूप मे मान्यता दी जाये लेकिन सरकार इसको मानने के लिए तयार नहीं है। इसका नतीजा है कि न तो महिला किसानों के खातों मे सालाना *6000* रूपयों की राशि आती है, ना ही उन्हे किसानो को मिलने वाली कोई अन्य सुविधा प्राप्त होती है। कितनी बड़ी त्रासदी है की अगर कोई महिला किसान आत्म हत्या करती है तो उसके परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिलता है।

आज चल रहे किसान आंदोलन मे महिला किसान अदृश्य नहीं रहीं। वे दिल्ली की सड़कों पर कड़ाके की ठंड झेल रही हैं। वे गीत गा रही हैं। वे भाषण भी दे रही हैं। और वे एक ही बात कह रही हैं काले कानून वापस लो।

हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की हमारी एडवा की कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन मे अपनी भागीदारी दर्ज की है। उनकी रिपोर्टे भी इस न्यूजलेटर मे आप पढ़ेंगे दृ और वह आंदोलन मे शामिल किसान महिलाओं के तेवर से बहुत ही प्रभावित होकर अपने अनुभव बाँट रही हैं।

हजारों महिला किसान टेंट, ट्राली और खुले में सोती हैं। चारों तरफ लाखो अजनबी पुरुष किसान हैं लेकिन किसी तरह का न डर है न चिंता। यह दिखाता है की एक बड़ा आंदोलन लोगो की नीयत और फितरत को कितना प्रभावित करता है, जनवादी मुहिम का लोगों के जेहन पर कितना प्रभाव पड़ता है।

इस आंदोलन से और इसमे शिरकत करने वाली महिलाओं से हमे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इसलिए हमे भी उनका संदेश चारों तरफ पहुंचाने के काम मे जुट जाना चाहिए।

इस संदर्भ मे हाल मे प्रकाशित *17* राज्यों और *5* केंद्र शाषित इलाकों की राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वे के *5* वे राउंड के परिणाम, हमे बता रहे हैं की महिलाओं और बच्चों का कुपोषण देश के तमाम हिस्सों मे बढ़ा है। *22* मे से *13* राज्यों और कई इलाकों मे बच्चों का न बढ्ना *(*स्टांटिंग*)* बढा है। *22* मे से *12* मे उनका कुपोषण के कारण बर्बाद हो जाना *(*वेस्टिंग*)* बढ़ा है और *22* मे *16* मे उनका वजन कम होना बढ़ा है। इन परिस्थितियों मे हमारी मांग कि अधिक से अधिक लोगों को मुफ्त मे बढ़ाकर राशन उपलब्ध किया जाये, कितना जरूरी हो जाता है। साथ ही, किसानों का यह संघर्ष जो राशनिंग व्यवस्था को ही समाप्त होने से बचा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है।

यहाँ बता दें, की केरला की वामपंथी सरकार ही है जिसने मुफ्त के राशन के साथ दाल, फल, सब्जी इत्यादि का पूरा पैकेट लाखो परिवारों को लगातार उपलब्ध कराने का काम किया है। इसके साथ ही तमाम पेंशनों की बढाई गयी राशि घरों मे लोगों को पहुंचाया गया है। इस तरह के जनहित के कार्यों के कारण, वाम जनवादी मोर्चा और खास तौर से सीपीआई*(*एम*)* की निकाय चुनावो मे भ्रामक प्रचार की सुनामी के बावजूद हुई। हमे इस जीत पर गर्व है क्योंकि हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ तमाम महिलाओं, आंगनवाड़ी, कुटुम्बश्री इत्यादि ने इस जीत के लिए जबर्दस्त काम किया है और इसे सुनिश्चित करने के लिए पिछले पाँच सालों मे जनता की लगातार सेवा की है। हमे विशेष खुशी इस बात की है कि ये चुनाव परिणाम हमे बताते हैं कि अब स्थानीय निकाय और पंचायतों मे जन प्रतिनिधि *60* प्रतिशतः से अधिक महिलाएं हैं। यह देश का नया कीर्तिमान है।

न्यूजलेटर के इस अंक मे हम अपनी दो बहुत ही प्रिय नेताओं को याद कर रहे हैं जो एडवा की संस्थापक ही नहीं बल्कि देश के जनवादी आंदोलन और वाम दिशा के राष्ट्रीय नेता रही हैं। कामरेड सुशीला गोपालन जिनका देहांत *19* दिसंबर *1990* को हुआ था और कामरेड कनक मुखर्जी जिनका जन्म *30* दिसंबर को हुआ था। इस साल कनक दी की जन्म शताब्दी की शुरुआत इस दिन से हो गयी है।

कनक मुखर्जी एक अच्छी कवियत्री और लेखिका थी। वह हर समय अपनी एक नोट बुक मे कुछ न कुछ लिखती रहती थीं। उनके द्वारा लिखे गए एक लेख, जो आज बहुत ही प्रासंगिक मालूम पड़ता है, द्दहेज प्रथा और लव मैरेज’ का कुछ हिस्सा आपके लिए पेश है*:*

'बालिग जवान पुरुषों और महिलाओं मे अपने पसंद की शादी करने का चलन दहेज की कुप्रथा का सबसे प्रभावशाली इलाज होगा। अपने दिलों की गहराइयों से अगर शिक्षित नौजवान नवयुवतियाँ दहेज प्रथा का बहिष्कार करेंगे तो वे इसे (समाज के) जड़ से उखाड़ सकते हैं। इस कुरीति को समाप्त करने के लिए क्या एक नए दौर की रौशनी मे पलने वाले नौजवानों को इसके बारे मे समझाना परिवार के दकियानूसी, स्वार्थी सोच से प्रभावित बुजुर्गों को समझाने से बेहतर नहीं होगा? बुजुर्गों मे चेतना पैदा करने के काम को छोड़ नहीं देना है लेकिन जो नई पीढ़ी है, जो शादी करने की तैयारी कर रही है, उसकी जिम्मेदारी अधिक है।

लेकिन जिन दहेज-विरोधी सभाओं मे मैंने भाग लिया है उनमे अधिकतर परिवार के बुजुर्गों की राय को ही उजागर किया जाता है। हजारों की संख्या मे नवजवानों को आगे बढ़कर दहेज न लेने का वचन लेते हुये हमने कितनी ऐसी सभाओं मे देखा है? कितनी महिलाओं को यह कहते हुआ सुना है की वे पैसे के बदले विवाह के सौदे मे बेचे जाने से इंकार करती हैं ? हम इस तरह की निष्ठा कहाँ देखते हैं? निश्चित तौर पर बच्चों को पालने की जिम्मेदारी माँ-बाप की है लेकिन उनकी तमाम कमजोरियों के लिए वे ही जिम्मेदार नहीं हैं।

शादी के बारे मे सोचने वाले नौजवानों-नवयुवतियों से ही मेरी अपील है। माँ-बाप से हम जरूर मांग करेंगे की वे अपने बेटियों और बेटों को समान शिक्षा और समान अवसर प्रदान करें ताकि बराबरी का मौका मिले लेकिन हम नौजवानों और नवयुवतियों पर इस बात के लिए निर्भर हैं की वे पसंद की शादी की पहल करें ताकि दहेज के लेन देन के लिए जगह ही न बचे।

हमने महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों की ओर कुछ प्रगति की है। कुछ सामाजिक बंधन भी लचीले हुए हैं। हम तो केवल उम्मीद ही कर सकते हैं कि बेहतर शिक्षा और चेतना संपन्न हमारे नौजवान हमारी प्राचीन, सड़ रही विवाह-व्यवस्था का समाधान निकालने मे आगे बढ़कर नेतृत्वकारी भूमिका अदा करेंगे। पसंद की शादी हमारे जीवन मे आजादी की खुशियाँ लाये! विवाहित जीवन और सम्बन्धों मे महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों का मजबूत आधार बने! दहेज प्रथा के खिलाफ जारी हमारे संघर्ष का यही अंतिम लक्ष्य है।' : कनक मुखोपाध्याय **(1960)**

लेख के इस छोटे से अंश से ही पता चल जाता है कि 100 साल पहले जन्म लेने वाली कनक दी के विचार कितने उदार, प्रगतिशील और रूढ़ियों को तोड़ने वाले थे। उन्होने एडवा की स्थापना के पहले, बंगाल के महिला आंदोलन मे सक्रिय भूमिका अदा की थी। छोटी उम्र से ही वह गुलामी और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली यौद्धा थी और जीवन भर

उन्होने यही भूमिका अदा की।

साल भर, उनकी याद मे विभिन्न कार्यक्रम होंगे और हम लगातार उनके बारे मे आपको जानकारी देते रहेंगे। *30* दिसंबर को एडवा के फेसबुक पेज पर बृंदा करात जी उनके बारे मे अपनी ने बात रखी जिसे आप नीचे दिए हुए लिंक पर देख सकते हैं

https://www.facebook.com/AIDWA/videos/445923593087276

का सुशीला गोपालन का कैंसर के कारण *19* दिसंबर, *2001* को दुखद निधन हुआ था। केरला की वामपंथी और जनवादी आंदोलन की वह बड़ी नेता थी, एडवा की संस्थापकों मे से एक थीं और हमारी महामंत्री भी थीं। हर साल, *19* दिसंबर को उनकी याद मे संगठन की ओर से किसी विचारक का भाषण करवाया जाता है। अबकी साल, इस भाषण से हमारे फेस बुक लाइव कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कृषि-अर्थशास्त्री मधुरा स्वामीनाथन, जो हमारे संगठन की सदस्य भी हैं, ने उस दिन महिला किसानों के बारे मे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भरा भाषण दिया थाजिसे आप नीचे दिए हुए लिंक पर देख सकते हैं। भाषण अंग्रेजी मे है।

https://www.facebook.com/AIDWA/videos/3440863266009359

एडवा द्वारा अपनी जाँबाज नेताओं के बारे मे प्रकाशित पुस्तक 'बाधाएँ तोड़ते हुए' मे का सुशीला गोपालन के बारे मे बड़ा ही प्रेरणादायक लेख है। उसके कुछ अंश नीचे दिये गए हैं*:*

थह उनका जनता मे पहला भाषण था, और *13* वर्षीय सुशीला थोड़ा नर्वस थी। उन्होने भीड़ मे अपने परिचित चेहरो की तालाश की...उनका उत्साह वर्धन करते और मुसकुराते हुए क्वायर *(*नारियल का जूट*)* कामगार यूनियन के उनके कामरेड और मित्र वहाँ थे जिनको उन्होने देखा था जब वह छोटी थी, असंख्य महिलाए और पुरुष थे जो उनके घर के पास बड़े क्वायर कारखाने मे काम करते थे। उन्होने याद किया कि भाषण उनके लिए लिखा गया था और रोशनी मे होने के कारण बिलकुल सामने देख रही थी। उन्होने बोलना शुरू किया और संतोषयुक्त मुसकुराहटें उन चेहरो पर आ गई जिन्होने सुशीला का भाषण सुना। बहुत प्रशंसा के साथ उन लोगों ने कहा "आज यहाँ वह वक्ता है, लेकिन एक

दिन वह यूनियन की नेता होगी...”।

यह *1940* के दशक की शुरुआत थी, *50* वर्षो मे सुशीला गोपालन देश मे वामपंथी आंदोलन की नेतृत्वकारी हस्ती बन गई और अपने गृह राज्य केरला मे एक जाना पहचाना नाम...

सुशीला *19* वर्ष की उम्र मे कम्युनिस्ट पार्टी मे *1949* मे शामिल हुई, ए के गोपालन जिन्हे लोग आदर और प्यार से ए के जी कहते थे, के साथ शादी से तीन साल पहले...उनके अपने संघर्षो मे, अपनी बहुत सी भूमिकाओं मे सुशीला ने भारत मे नारी मुक्ति के लिए आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया। वह केरला महिला फेडरेशन के पहले सम्मेलन मे उपस्थित थी। *1981* मे वह एडवा की संस्थापक सदस्य थी।

संस्थापक महामंत्री की हैसियत से महिलाओं के विभिन्न वर्गों से संबन्धित मुद्दों की श्रंखला को केंद्र मे लाने का कारण बनी। घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, लैंगिक हमले और बलात्कार के मुद्दे एडवा द्वारा सुशीला के नेतृत्व मे उठाए गए। वह एक ऐसा संगठन बनाना चाहती थी जिसे सभी महिलाएं अपना संगठन कहे। भाषा उनके लिए कभी बाधा नहीं रही और उन्होने शुरू के वर्षो मे संगठन को खड़ा करने के लिए बहुत यात्राएं की। महिला आंदोलन मे विभिन्न स्तरो पर काडर निमार्ण मे उन्होने विशेष ध्यान दिया।‘

(एडवा द्वारा प्रकाशित, ‘बाधाएँ तोड़ते हुए’ से)

यह अंक आपको नए साल मे मिलेगा। यह साल देशवासियों के लिए कुछ खुशियाँ लाये, उनको अनगिनत परेशानियों से कुछ राहत दे, किसानों को जबरदस्त जीत मिले जिससे पूरा देश जीतेगा। हमारे संघर्षों और संगठन को और ताकत और ऊर्जा मिले - यही हम सब की कामनाए हैं

सुभाषिनी अली, संपादक

तानाशाह मोदी, अन्यायपूर्ण कृषि अधिनियमों को वापस लो

- मरियम धवले, (राष्ट्रीय महासचिव, ऐडवा)

महिला किसान- इन दो शब्दों पर शायद ही कभी ध्यान दिया जाता है। वे कहानियां बहुत दर्दनाक हें जो बताती हैं कि महिला किसानों, विशेष रूप से विधवाओं, परित्यक्ताओं और एकल महिलाओं के द्वारा महामारी के दौर में और भी अधिक विकट होते हुये कृषि संकट का मुकाबला किया जा रहा है।

भारती जंगलों में खाद्य जड़ों को उखाड़ कर लाकर परिवार को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है । कमला कर्ज के पहाड़ में दब गई है जिसे उसने एमएफआई और अन्य लोगों से लिया है । संगीता को कोई सब्सिडी वाला उर्वरक नहीं मिलता क्योंकि जमीन उसके नाम पर नहीं है। गिरिजी को वन अधिकारियों द्वारा उस छोटे से वन भूखंड से हटाने की रोज धमकी दी जाती है, जिस पर उसकी आजीविका चलती है.....यह सूची अंतहीन है ।

महिलाएं तड़के उठती हैं, खेतों में अथक परिश्रम करती हैं, घर के सभी कामों का प्रबंधन करती हैं लेकिन उनका अधिकार किसी पर भी नहीं है । महिलाओं को किसान के रूप में कभी पहचाना नहीं जाता। मौजूदा नीतियां केवल महिलाओं को खेतिहर मजदूर या कृषक के रूप में मान्यता देती हैं, जिससे उन्हें किसान का खिताब प्राप्त करना बेहद मुश्किल हो जाता है। महिलाओं के लिए अपने पति की मौत के बाद भी अपने नाम पर जमीन ट्रांसफर करवाना लगभग नामुमकिन है । नतीजतन, कृषि में ज्यादातर महिलाएं किसानों के लिए बनी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकतीं । वे खेती के लिए संस्थागत ऋण का भी उपयोग नहीं कर सकती हैं और उन्हे सब्सिडी भी नहीं मिल पाती है। किसी भी आर्थिक सुरक्षा के अभाव मे, महिलायें कर्ज और गरीबी के चक्रव्यूह में और धंसती जाती हैं।

कृषि जनगणना के अनुसार, जबकि 73.2 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएं खेती के कामों में लगी हुई हैं, उनमें से केवल 12.8 प्रतिशत के पास ही जमीन है जिस पर वे काम करती हैं । भूमि उनके पति, पिता या भाइयों के स्वामित्व में होती है- जिनमें से ज्यादातर अनुपस्थित हैं । साथ ही महिलाओं के काम का पूरी तरह से अवमूल्यन कर दिया जाता है जब समान काम करने के बावजूद उन्हे पुरूष से कम मजदूरी दी जाती है।

जैसे-जैसे खेती तेजी से असाध्य होती जा रही है, पुरुष काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। घर की महिलाएं जमीन पर काम करती रहती हैं। खेती की गतिविधियों में शारीरिक श्रम की एक विस्तृत श्रृंखला है । इसमें जमीन तैयार करना, बीज बोना, पौधों की रोपाई, निराई-खरपतवार, खाद व कीटनाशक लगाना और फिर कटाई, विनिंग व ग्रेसिंग शामिल है। इसके अलावा जिन दूसरे काम भी करने ही पड़ते हैं वे हैं पशु पालन और अपनी उपज बेचने के लिए, बाजारों का दौरा करना। इन सबके साथ साथ खेतों में अपने काम के अलावा महिलाओं को बच्चों की देखभाल करनी है, घर का सारा काम करना है और खाना बनाना है।

तीन कृषि विधेयक उन महिला किसानों के लिए कयामत बरपायेंगे जो भारतीय कृषि के छोटे और सीमांत किसानों का एक बड़े हिस्सा हैं।

महिला किसान गरीबी और आवागमन की तकलीफों के कारण दूसरी जगह पर अपने उत्पादों को बेचने जाने से असमर्थ होती हैं साथ ही अच्छी कीमत लगे इसके लिये वे मोलभाव भी नही ंकर सकती हैं। किसान उत्पाद एवं व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम, 2020 और अनुबंध कृषि अधिनियम 2020 उन्हें खरीदारों व्यापारियों द्वारा किए जा रहे शोषण की चपेट में छोड़ देगा।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने गरीबों की खाद्य सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली महामारी के दौरान सभी नागरिकों के लिए खाद्य पहुंच के लिए एक जीवन रेखा रही है, यहां तक कि सरकार भी राहत खाद्य राशन के वितरण के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है । अनाज, दालें, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने से गरीब परिवारों की पोषण जरूरतों पर गंभीर असर पड़ेगा। ईसीए में परिवर्तन भारत में खाद्य आपूर्ति प्रणालियों को पूरी तरह से डी-नियंत्रित करता है जो सबसे कमजोर आबादी की खाद्य उपलब्धता पर गंभीर प्रभाव डालेंगे जब ऐसा भोजन (अदृश्य) होर्डिंग होता है और सस्ती हो जाता है ।

जब 5 वर्ष से कम आयु के हमारे 38 प्रतिशत बच्चे अविकसित हैं, 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में (15-49 वर्ष) खून की कमी है, तो सरकार को भुखमरी और कुपोषण को दूर करने के लिए अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करना चाहिए। इस महामारी ने सार्वजनिक प्रणालियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को दोहराया है और यह दर्शाया है कि किस प्रकार कुछ कमजोरियों के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मनरेगा गरीबों के लिए रक्षक रहे हैं ।

इन अधिनियमों में अधिकांश महिला किसानों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, जो छोटे और सीमांत जोत पर निर्भर हैं, या तो प्रत्यक्ष कृषक या काश्तकार के रूप में । महिलाओं में साक्षरता की दर कम होने के साथ साथ जाति, वर्ग और उनके लैंगिक भेदभाव के चलते व्यापारियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ समझौतों को समझने या बातचीत करते समय उन्हें नुकसान होगा ।

33 किसानों की जान जा चुकी है। भीषण दमन और कड़वी दिल्ली ठंड के बावजूद 26 नवंबर से संघर्ष जारी है। 2020 महिलाओं के लिए अथाह दुख का कारण बना है । अब समय आ गया है कि बेरहम केंद्र सरकार अपने ऊंचे घोड़े से नीचे उतरे, हाशिए पर पड़े समुदायों के जीवन को कॉर्पोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचने से रोके और तीन कृषि विधेयकों को तुरंत वापस ले।

मंगलेश डबराल (16 मई 1948 - 9 दिसंबर 2020)

मंगलेश डबराल समकालीन कवियों में सबसे चर्चित नाम है। आज मंगलेश जी हमारे बीच में नहीं हैं । 9 दिसम्बर '20 को एम्स में अंतिम सांस ली । उनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल में हुआ था और शिक्षा दीक्षा देहरादून में

हुई । वे जनसत्ता अखबार के संपादन से भी जुड़े थे। मंगलेश जी के 5 काव्य संग्रह 'नये युग में शत्रु', 'पहाड़ पर लालटेन', 'घर का रास्ता', हम जो देखते हैं, 'आवाज भी एक जगह है' दो गद्य संग्रह भी प्रकाशित हुए। उनकी कविता के अंश, "तुम्हारा प्यार एक लाल रुमाल है जिसे मैं झंडे सा फहराना चाहता हुँ " बताता है कि मंगलेश जी ने कभी भी वामपंथी धरातल को नहीं छोड़ा। वे सत्ता और व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिरोध की बड़ी आवाज थे। उनकी कविताएं अपने वक्त की न सिर्फ आइना है बल्कि वे उसे समझने में भी हमारी मदद करती हैं। "वर्णमाला कविता" में उन्होंने समाज में बढ़ रही क्रूरता के विषय में लिखा है।

"अ से अनार अ से अमरूद

लेकिन लिखने लगता हुं अ से अनर्थ अ से अत्याचार

कोशिश करता हुं कि क से कलम या करूणा लिखूँ

लेकिन मैं लिखने लगता हुँ क से क्रूरता क से कुटिलता"

उनकी कविता 'तानाशाह' इमरजेन्सी के दौर की लिखी हुई कविता है किन्तु पढ़कर लगता है कि जैसे आज के हालात पर लिखी गई है।

"तानाशाहों को

अपने पूर्वजों के जीवन का अध्ययन नहीं करना पड़ता।

वे उनकी पुरानी तस्वीरों को जेब में नहीं रखते

या उनके दिल का एक्स-रे नहीं देखते।

यह स्वतरूस्फूर्त तरीके से होता है

कि हवा में बन्दूक की तरह उठे उनके हाथ

या बँधी हुई मुट्ठी के साथ पिस्तौल की नोक की तरह उठी हुई

अँगुली से कुछ पुराने तानाशाहों की याद आ जाती है

या एक काली गुफा जैसा खुला हुआ उनका मुँह

इतिहास में किसी ऐसे ही खुले हुए मुँह की नकल बन जाता है।

वे अपनी आँखों में काफी कोमलता और मासूमियत लाने की कोशिश करते हैं

लेकिन क्रूरता एक झिल्ली को भेदती हुई बाहर आती है और इतिहास की सबसे क्रूर आँखों में तब्दील हो जाती है।
तानाशाह मुस्कराते हैं, भाषण देते हैं

और भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे मनुष्य है, लेकिन इस कोशिश में

उनकी भंगिमाएँ जिन प्राणियों से मिलती-जुलती हैं

वे मनुष्य नहीं होते।

तानाशाह सुन्दर दिखने की कोशिश करते हैं,

आकर्षक कपड़े पहनते हैं,

बार-बार सज-धज बदलते हैं,

लेकिन यह सब अन्ततः तानाशाहों का मेकअप बनकर रह जाता है।

इतिहास में कई बार तानाशाहों का अन्त हो चुका है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें लगता है वे पहली बार हुए हैं।"

किसान आंदोलन: ऐतिहासिक व अविस्मरणीय'

-सविता, राज्य महासचिव, जनवादी महिला समिति (हरियाणा)

भाजपा सरकार द्वारा सभी लोकतांत्रिक मानदंडों की धज्जियां उड़ाते हुए पारित किए गए कृषि संबंधी तीन काले कानूनों के खिलाफ देशभर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। 26-27 नवंबर को किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। लेकिन अपने ही देश के नागरिकों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए भाजपा सरकार ने सड़कें

खुदवाई, कंटीली तारे और बड़े-बड़े पत्थर लगवाए, बैरीकेड्स लगवाए, वाटर कैनन चलवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां बरसवाई, मुकदमें बनाए, गिरफ्तारियां की, परंतु किसान पीछे नहीं हटे और हर बाधा को पार करते हुए दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच गए। फिलहाल लाखों किसान कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर बैठे हैं। आंदोलनकारी किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक लाख से ज्यादा ट्रैक्टर-ट्रालियां धरना स्थलों पर मौजूद हैं। ये ट्रैक्टर-ट्रालियां पिछले 1 महीने से आंदोलनकारियों का घर बने हुए हैं। यहीं पर रहना, सोना, खाना-पीना, पढ़ना होता है। किसी भी आंदोलनकारी से बात करें तो हर कोई यही कहता है कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक घर वापस नहीं जाएंगे चाहे इसमें 6 महीने लगें या 6 साल। या तो काले कानून वापस होंगे या फिर हम शहीदी देकर जाएंगे। हम खुद किसी को उंगली भी नहीं लगाएंगे, मोदी को हमें मरवाना हो तो मरवा दे हम तैयार हैं। किसान आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए सिर पर कफन बांध कर आए हैं। 30 से ज्यादा किसान शहादत दे चुके हैं लेकिन किसान किसी भी सुरत में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं।

'जनता का अभूतपूर्व सहयोग'

यह ऐतिहासिक आंदोलन अब केवल किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है बल्कि आम जनता का आंदोलन बन चुका है। चारों ओर से जनता का अभूतपूर्व सहयोग आंदोलनकारियों को मिल रहा है। हर कोई किसी ना किसी रूप में इस आंदोलन में अपनी आहुति डालना चाहता है। गांव-गांव से दूध, लस्सी, हरी सब्जियां, दाल, चावल, आटा, साबुन, चीनी, घी, तेल, मूंगफली, रेवड़ी, लकड़ियां, कंबल, रजाईयां, गर्म कपड़े तथा अन्य जरूरत का सामान इकट्ठा करके आंदोलन स्थलों पर भिजवाया जा रहा है। पंजाब के आंदोलनकारियों ने बताया कि हरियाणा के लोग इतना खिला रहे हैं कि उनका खुद का राशन तो अब तक ट्रैक्टर-ट्रालियों में ही पड़ा है। हरियाणा भर में आने-जाने वाले आंदोलनकारियों की खाने पीने की व्यवस्था के लिए जगह-जगह लंगर लगाए गए हैं। आंदोलन स्थलों के पास वाले घरों, फैक्ट्री मालिकों, दुकानदारों ने शौचालय और स्नानघर आंदोलनकारियों के लिए खोल रखे हैं। आंदोलन स्थलों के पास रहने वाले लोग आंदोलनकारियों से किसी तरह की कोई समस्या महसूस नहीं कर रहे हैं। आने-जाने वालों के लिए भी रास्ते छोड़े हुए हैं। आंदोलनकारी उन्हें भी रोक-रोक कर चाय-पानी व खाना खिला रहे हैं। दुकानदार आंदोलनकारियों को मुफ्त में जरूरत का सामान मुहैया करवा रहे हैं। डॉक्टरों ने वॉलिंटियर्ली मेडिकल कैंप लगा रखे हैं जहां सभी तरह की दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध हैं। आंदोलन स्थलों पर जगह-जगह लंगर चल रहे हैं। 10-20 लोगों के समूह खुद भी खाना बना रहे हैं। जहां बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, व्यवसाय, क्षेत्र के भेदभाव के कोई भी खाना खा सकता है, आंदोलनकारियों के साथ रह सकता है।आंदोलन बेहद अनुशासित व एकताबद्ध ढंग से चल रहा है।

'भाजपा की आंदोलन को तोड़ने की कोशिश

हमेशा फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करने वाली भाजपा इस बेमिसाल एकता से बुरी तरह से बौखलाई हुई है और आंदोलन में फूट डालने के लिए बेशर्मीपूर्ण ढंग से हर तरह के औछे हथकंडे अपना रही है। कभी इसे केवल पंजाब के किसानों का, जाटों का, जमीन के मालिकों का आंदोलन बताया जा रहा है। कभी खालिस्तानी, आतंकवादी, चीनी-पाकिस्तानी, माओवादियों के समर्थक कहा जा रहा है। हरियाणा पंजाब के किसानों में फूट डालने के लिए भाजपा के नेता एसवाईएल का मुद्दा उठा रहे हैं। कॉर्पोरेट घरानों का मीडिया आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगातार प्रचार में जुटा हुआ है। परन्तु आंदोलनकारी किसानों ने भाजपा की चालों और इसके पिछलग्गू मीडिया घरानों को अच्छे से पहचान लिया है। आंदोलन स्थलों पर इन घरानों को दुत्कारा जा रहा है, जगह-जगह गोदी मीडिया के विरोध में पोस्टर लगाए हुए हैं। किसान सोशल व प्रिंट मीडिया के जरिए अपना वैकल्पिक मीडिया विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रगतिशील साहित्य बांटा जा रहा है। लाइब्रेरी स्थापित की गई हैं तथा ट्रॉली टाइम्स अखबार भी निकाला जा रहा है। साधारण किसानों ने भी प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कहना सीख लिया है।

'आंदोलन में महिलाएं और जनवादी महिला समिति का हस्तक्षेप

इस आंदोलन में महिलाओं की उपस्थिति भी असाधारण है। बेशक अभी तक महिलाओं को किसान का दर्जा नहीं मिला है लेकिन खेत खलिहानों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमाने वाली महिलाएं आंदोलन में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। बुजुर्ग महिलाओं, नौजवान लड़कियों से लेकर छोटे बच्चे तक आंदोलन में शामिल हैं। कुछ महिलाएं बॉर्डर पर पुरुषों के साथ मोर्चे पर डटी हुई हैं, कुछ घरों पर रहकर खेती व घर तो संभाल ही रही हैं, इसके साथ-साथ स्थानीय स्तर पर चल रहे आंदोलनों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी कर रही हैं।

आंदोलन स्थलों पर नहाने, धोने, शौच आदि के लिए उचित बंदोबस्त ना होने के बावजूद महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है। सप्ताह-दस दिन रुक कर महिलाओं का एक जत्था वापस जा रहा है तो दो जत्थे आंदोलन स्थल पर आ रहे हैं। हरियाणा से भी महिलाओं के जत्थे हर रोज बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं जो दिन में रुक कर शाम को वापस चले जाते हैं।

जनवादी महिला समिति ने कृषि विरोधी तीनों काले कानूनों के विरोध में हरियाणा भर में कई महीनों से अभियान चलाया हुआ है। बैठकें की गई, पर्चे वितरित किए गए, गीत व नारे लिखे गए, और स्थानीय स्तर पर चल रहे आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी करवाई गई। ये काले कानून खाद्य सुरक्षा को भी बर्बाद करने वाले हैं, इस महत्वपूर्ण पक्ष को महिलाओं व मजदूरों के बीच में स्थापित करने के लिए जिला स्तर पर धरनों का भी आयोजन किया गया। बॉर्डर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संगठन के नेतृत्व में महिलाओं के जत्थे ले जाए जा रहे हैं। ट्रैक्टर-ट्रालियों में सवार होकर महिलाएं गीत गाते हुए तथा नारे लगाते हुए बॉर्डर पर पहुंच रही हैं।आगामी दिनों में हरियाणा भर से महिलाओं के बड़े जत्थे ले जाने की योजना बनाई गई है।

पंजाब से आई महिलाओं की जरूरतों को जानने, उन्हें मदद देने तथा आंदोलन में महिलाओं की शिरकत बढ़ाने के लिए संगठन ने टिकरी बॉर्डर पर महिलाओं का कैंप भी लगाया है। पंजाबी भाषा में पर्चे छपवा कर वितरित किए गए हैं। जनवादी महिला समिति की टीम ने घूम घूम कर महिलाओं से बात की है। जब पंजाब से आई महिलाओं से आंदोलन स्थल पर पेश आ रही समस्याओं के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या तो ये तीन काले कानून हैं, ये रद्द हो जाएं तो वे आराम से अपने घर जा सकती हैं। वे तब तक डटी रहेंगी जब तक मोदी कानून वापस नहीं ले लेता। आंदोलन में शामिल होने के लिए महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। इस आंदोलन की खूबसूरती यह है कि यह लैंगिक भेदभाव को भूलाकर बराबरी के नए मापदंड स्थापित कर रहा है। घरों में रसोई का जिम्मा संभालने वाली महिलाएं यहां बैठ कर खाना खा रही हैं और पुरुष खाना पका रहे हैं। हरियाणा के युवाओं को पंजाब के युवा खाना बनाना सिखा रहे हैं। रात में खुले आसमान के नीचे अनजान पुरुषों के साथ रहने में भी महिलाएं असुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। महिलाएं बता रही हैं कि जितना मान-सम्मान उन्हें इस आंदोलन में शामिल होकर मिल रहा है

उतना कभी नहीं मिला। आमतौर पर समाज व घरों में अलग-अलग रहने वाले महिला-पुरुष साथ मिलकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। महिलाएं बोलना तथा सलीके से अपनी बात रखना सीख रही हैं। एक अनपढ़ औरत वकील की तरह कानूनों के असर को अच्छे से समझा रही है। हालांकि मंचों पर महिलाओं की उपस्थिति कम नजर आती है।

'किसान-मजदूर एकता'

जाट आरक्षण आंदोलन की वजह से जातीय विभाजन की मार झेल रहा हरियाणा उससे उबरने की कोशिश कर रहा है। बेजमीनें लोग, खेत मजदूर तथा मजदूर भी धीरे-धीरे समझ रहे हैं कि तीनों काले कानून खाद्य सुरक्षा, पशुपालन व रोजगार को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। अन्न उगाने वाला किसान ही अगर नहीं बचेगा तो अन्य तबके भी नहीं बचेंगे। वो समझ रहे हैं बेलगाम मोदी सरकार पर लगाम कसने के लिए इस आंदोलन का जीता जाना बेहद जरूरी है। इसलिए मजदूरों की हिस्सेदारी भी आंदोलन के अंदर निरंतर बढ़ रही है। किसान एकता का नारा किसान-मजदूर एकता के नारे में तब्दील हो गया है। इस आंदोलन से हमने अब तक क्या हासिल किया है अगर इसे साधारण किसान की भाषा में समझें तो मलेरकोटला से आए एक जत्थे (जिसमें हिंदू,मुस्लिम, सिख तीनों धर्मों के किसान शामिल थे।) में शामिल एक किसान ने कहा कि किसान आंदोलन से अभी तक तीन जीतें हासिल हो चुकी हैं। एक पंजाब-हरियाणा का भाईचारा, दुसरा मजदूर-किसान की एकता, तीसरा भाजपा की फूट डालो और राज करो का एजेंडा बेनकाब हो चुका है और फाइनल जीत के लिए दिल्ली जा रहे हैं जब तक भाजपा की सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

आदित्यनाथ के अंतरधार्मिक विवाह संबंधी अध्यादेश के पीछे की राजनीति

-सुभाषिनी अली

योगी आदित्यनाथ, भाजपा के तमाम मुख्य मंत्रियों मे हिन्दुत्व के अजेंडा के प्रति सबसे अधिक कटिबद्ध हैं। वह विकास की बात तो करते हैं लेकिन उनकी सरकार ने केवल अल्पसंख्यकों और दलितों को अपने हमलों का निशाना बनाया है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लगातार गहरा किया है, किसानो और मजदूरों के अधिकारों का हनन किया है। उनके राजयकाल मे महिलाओं रोज अकल्पनीय हिंसा की शिकार बनाई जा रही हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है।

गाय की सुरक्षा के नाम पर, आदित्यनाथ ने मुख्य मंत्री बनते ही समूचे गोश्त के धंधे को ही तबाह कर दिया। पशुओं का व्यापार बंद हो गया और चमड़े का उद्योग भी ठप्प पड़ गया। मुसलमानों की जिंदगी और जीविका पर विपरीत असर तो पड़ा ही और उनमे से सैकड़ों को रासूका जैसे कठोर कानूनों के अंतर्गत जेलों मे बंद किया गया है, कुछ को जान से मारा भी गया है। यह सब केवल तस्करी करने या जानवर काटने के शक के आधार पर किया गया है। लेकिन, लाखों दलितों की जीविका भी बिलकुल नष्ट कर दी गई है। किसानों का पशु व्यापार तो बिलकुल बंद ही हो गया है, उनकी फसलों का नाश भी आवारा पशु कर रहे हैं। ऐसा नहीं की जानवरों का कटना बंद हो गया है। गाय के गोश्त के निर्यात के बड़े कारखानों मे काम धड़ल्ले से हो रहा है। इनके मालिक भी बड़ी संख्या मे भाजपा के नेता हैं और जिस जानवरों से संबन्धित कमाई जिसमे लाखों गरीबों का हिस्सा होता था, वह अब कुछ ही बड़े पूँजीपतियों के हाथों मे जा रही है। गौ रक्षा के दावों के पीछे छुपा बड़े खेल को गरीब दलित, मजदूर और किसान समझ ही नहीं पा रहे

हैं।

मुस्लिम पुरुषों और हिन्दू महिलाओं के बीच होने वाली शादियाँ आदित्यनाथ को विशेष रूप से क्रोधित करती है। उनके अप्रैल, 2017 मे मुख्य मंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद मेरठ मे इस तरह की एक दंपति पर उनकी अपनी सेना, हिन्दू युवा वाहिनी की तरफ से कर दिया गया था। फिर 2 मई को बुलंदशहर की एक हिन्दू महिला एक मुस्लिम पुरुष के साथ जब चली गई तो उसके बाद मचे बवाल के दौरान एक मुस्लिम पुरुष, जो इन लोगों को जानता ही नहीं था, उसको मार डाला गया। जाहिर है की इन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कूई कार्यवाही नहीं हुई और फिर तो इस तरह के कई हमले हुए।

2020 के अगस्त के महीने मे कानपुर से कई अंतरधार्मिक विवाहों की खबरे आने लगी। आधित्यनाथ ने जिले के अधिकारियों को फटकार लगाई और उन्हे इस 'लव जेहाद' के अभियान को रोकने के सख्त निर्देश दिये। हिन्दी के कई अखबार विवाद मे कूद पड़े और उन्होने आग लगाने वाले 'खुलासे' किए। प्ैप् का हाथ उन्हे दिखाई दिया। हवाला के माध्यम से आने वाली विदेशी मुद्रा का राज भी उन्होने खोला और इस बात को वह साबित करने मे जुट गए कि मुस्लिम लड़के हिन्दू लड़कियों को फसाने मे एक साजिश के तौर पर काम कर रहे थे। यह भी कहा गया कि यह लड़के खुद को हिन्दू भी बताते थे। बजरंग दल ने कई उग्र प्रदर्शन किया और प्रशासन को एक ैप्ज् की जांच बिठाने के लिए मजबूर कर दिया गया। ैप्ज् कि रिपोर्ट नवंबर मे आई और उसके नतीजों के बारे मे प्ळ पुलिस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सूचना दी कि कहीं भी किसी साजिश के प्रमाण नहीं मिल पाये थे और अधिकतर लड़कियां जो बालिग थी, अपने मर्जी से उन लड़कों के साथ गयी थी और उन्हे के साथ रहना चाहती हैं। उन्होने यह स्पष्ट किया कि 'लव जेहाद' जैसी किसी चीज का सुबूत नहीं मिल पाया था।

इसी बीच, 24 सितंबर को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्रिपाठी ने एक अजीब फैसला सुना दिया। उनसे सुरक्षा की गुहार लगाने एक हिन्दू पुरुष और मुस्लिम महिला पहुंचे थे। उनकी गुहार को अनसुना करते हुए,

त्रिपाठी जी ने फैसला यह सुना दिया कि शादी करने की नीयत से अगर धर्म परिवर्तन होता है तो फिर वह शादी ही अवैद्य है।

आम तौर पर मुस्लिम महिला की शादी हिन्दू पुरुष के साथ होती है उसे संघ परिवार पसंद करता है। फिर भी आदित्यनाथ ने अपने मतलब की बात को इस फैसले से निकाल कर घोषणा कर दी कि अब अगर मुस्लिम पुरुष हिन्दी महिलाओं के साथ शादी रचाएंगे तो उन्हे कानूनी तौर पर दंडित किया जाएगा और उनका 'राम नाम सत्य भी कर दिया जाएगा'।

संयोग से, अक्तूबर के महीने मे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की दो अलग खंड पीठों ने बिलकुल अलग तरह के निर्णय दिये। 2 नवम्बर को एक समलैंगिक दंपति सुरक्षा की मांग लेकर जाब न्यायालय के सामने आया तो न्यायाधीश महोदय ने कहा कि चूंकि उनका रिश्ता कानूनी है इसलिए उन्हे प्रशासन और पुलिस की ओर से पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए।

11 नवंबर को एक अंतरधार्मिक दंपति जब न्यायालय के सामने सुरक्षा की मांग लेकर आया, तो न्यायाधीशों ने बहुत ही स्पष्ट फैसला सुनाया। उन्होने कहा 'हम प्रियंका खरवार और सलामत को हिन्दू और मुस्लिम के रूप मे नहीं बल्कि दो बालिग व्यक्तियों के रूप मे देखते हैं जो अपनी इच्छा से एक साथ, शांतिपूर्ण तरीके से खुशी से रेह रहे हैं...न्यायायलय और खास तौर से सवैधानिक न्यायालय पर भारत के संविधान की धारा 21 द्वारा इस बात की जिम्मेदारी डाली गयी है कि वे व्यक्ति की जिंदगी और आजादी को सुरक्षित करें। अपनी इच्छानुसार, किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति के साथ रहना व्यक्ति की आजादी और जीवन के अधिकारों मे निहित है। व्यक्तिगत रिश्तों मे हस्तक्षेप करना दो व्यक्तियों के चुनाव करने की आजादी के अधिकार मे अतिक्रमण होगा...दो बालिग व्यक्तियों जो अपनी स्वेच्छा से एक साथ रेह रहे हैं, उनके रिश्ते के प्रति किसी व्यक्ति, या परिवार या राज्य को भी आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है....'

आदित्यनाथ के लिए संवैधानिक नियमों की कोई एहमियत ही नहीं है। हिन्दू धर्म को त्यागकर धर्म परिवर्तन करना और हिन्दू महिलाओं व मुस्लिम पुरुषों के बीच विवाह होना, यह संघ परिवार और उनकी नजरों मे इस तरह के भयानक पाप हैं जिनकी सजा भी उतनी ही भयानक होनी चाहिए। और इसी सोच को अंजाम देने के लिए 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन निरोधक अध्यादेश को पारित किया गया था।

तब से, अंतरधार्मिक विवाह करने वाले हिन्दू महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों को अमानवीय यातनाए दी जा रही है। इनमे ऐसे लोग भी हैं जिनकी शादी अध्यादेश के पारित होने से पहले ही हो गयी थीं। पति-पत्नियों को जबरदस्ती एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। मुस्लिम पतियों और उनके रिशतेदारों को मार-पीट कर जेल मे ठूसा गया है। एक गर्भवती महिला का कहना है कि उसके साथ लोगों ने धक्का-मुक्की की और अस्पताल मे जबरदस्ती उसका गर्भपात कर दिया गया। एक दूसरी गर्भवती महिला है जिसे अस्पताल के अंदर उसके परिवार ने अपने कब्जे मे कर लिया है और उसके गर्भ को गिराने पर वे तुले हुए हैं। कई महिलाओं को उनके परिवार वालों ने जबरदस्ती घसीटकर अपने वश मे कर लिया है, कईयो को लात-जूतों की मार खाते हुए देखा गया है।

इस बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुछ राहत पहुंचाने का काम किया है। अध्यादेश पारित होने के एक दिन बाद नदीम नामक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने इसके उल्लंघन के जुर्म मे थ्प्त् पंजीकृत की थी। 18 दिसंबर को न्यायालय

ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। उसके वकील ने अध्यादेश को गैर-कानूनी घोषित करने की याचिका भी न्यायालय के सामने रखी और न्यायाधीशों ने प्रदेश की सरकार से जवाब मांगा। सुनवाइ के लिए 7 जनवरी तय हुई है। उसी दिन एक अन्य न्यायालय मे भी इस अध्यादेश को चुनौती दी गयी और अब दोने मामलों की सुनवाई एक साथ होगी।

लेकिन 7 जनवरी तक सरकार को जुल्म ढाने के लिए काफी समय मिल गया है। और ऐसा करने मे आदित्यनाथ की सरकार कोई कसर बाकी छोड़ नहीं रही है। नदीम के मामले मे उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, एक मुस्लिम पति और उसके भाई की जमानत होने के बाद, सरकार पूरी तरह से मुस्लिम पतियों और उनके परिवारों पर बरस पड़ी है। मैनपुरी के एक मामले मे, पति के साथ उसके 4 रिश्तेदार जेल भेज दिये गए हैं और अन्य रिशतेदारों के बारे मे सूचना देने वाले को 25000 ध्- का इनाम घोषित कर दिया गया है। हिन्दू पत्नियों को तो जबरदस्ती सुरक्षा गृहों या उनके परिवारों के हवाले करने की कार्यवाहियाँ जारी हैं।

आदित्यनाथ के दमनकारी कदमो से कई मुसलमान युवकों का उत्पीड़न किया जा रहा है लेकिन इनके चलते, कई हिन्दू महिलाओं पर असहनीय हमले भी किए जा रहे हैं। फिर भी, बैरी बना समाज, दुश्मन बने घरवाले, धमकी देने वाले बजरंग दलिये, अन्याय पर उतारू पुलिस-प्रशासन, इन सबका अद्भभूत हिम्मत और निष्ठा के साथ यह हिन्दू महिलाएं मुकाबला कर रही हैं जिसके लिए उनकी दाद दी जानी चाहिए। अपना जीवन साथी चुनने के अधिकार को सुरक्षित रखने की लड़ाई वे केवल अपने लिए ही नहीं तमाम महिलाओं के लिए लड़ रही हैं।

इतिहास का अध्ययन हमे बताता है की अपने जीवन साथी का चुनाव करने का महिलाऊँ के अधिकार को दुनिया भर मे नियंत्रित किया गया है। लेकिन हमारे समाज मे इसका विरोध सबसे ज्यादा हिंसात्मक और कातिलाने तरीके से हुआ है और आज भी हो रहा है। हमारे संविधान ने महिला अधिकारों के लिए लंबे और कठिन संघर्षो के बाद इस अधिकार को मान्यता दी थी लेकिन आज भी इस अधिकार का फायदा उठाने अधिकतर भारतीय महिलाओं के लिए कठिन और खतरनाक है। आज भी भारतीय समाज वर्णाश्रम धर्म की गिरफ्त मे है और इस सामाजिक प्रणाली को जिंदा रखने के लिए महिलाओं का अपनी जाती के अंतर्गत शादी करना अनिवार्य है। कितनी विडम्बना है की एक ऐसी प्रणाली को जिंदा रखने के लिए जो उनकी और अधिकतर अन्य भारतियों की असमानता को बनाए रखता है, महिलाओं को अपने अधिकारों की बली चढ़ानी पड़ती है। यही नहीं, वे अपने इस कर्तव्य को निभाएँगी, इसको सुनिश्चित करने के लिए उन पर तमाम बंधनो मे जकड़ दिया जाता है। उनको अपने अन्य अधिकारों के आधार पर जीना भी दूभर कर दिया जाता है।

वर्णाश्रम धर्म और उसको मजबूती और धार्मिक मान्यता प्रदान करने वाली मनुस्मृति के प्रति अपनी श्रद्धा को त्ै ने संविधान के पारित होने के तुरंत बाद, 1949 मे ही घोषित कर दिया था। संविधान के प्रति उसकी अवहेलना और मनुस्मृति के प्रति उसकी श्रद्धा उसे महिलाओं के अधिकारों का सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी बनाता है। समाज के बड़े हिस्से मे मनुवादि सोच का प्रभाव, खास तौर से उसके द्वारा महिलाओं और काम काजी और शोषित वर्गों मे शामिल जातियों के अधिकारों पर किए गए आक्रमण को वे पसंद करते हैं। समाज के अंदर व्यापक पैमाने पर मौजूद मनुवादी विचारधारा संघ परिवार को संवैधानिक अधिकारों का हनन करने मे मदद करता है। उसके यह हमले, केंद्र और कई राज्यों मे बीजेपी की सरकारे बनने के बाद, बहुत तेज और बहुत विस्तृत हुए हैं।

मनुस्मृति द्वारा उन महिलाऑ के बच्चों को बहुत ही घ्राणित माना गया है जो अपने से नीचे दर्जे के पुरुषों से शादी करती हैं। म्लेछों के साथ पैदा किए गए बच्चों के बारे मे तो ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसे दोहराना संभव नहीं है। यही नहीं, इस तरह की शादियाँ करने वाली महिलाओ को बुरी तरह से प्रताड़ित करना, मार डालना, कुत्तो को खिला देना उचित ठहराया गया है। उस जमाने मे मौजूद हुन और यवन लोगों को म्लेच्छ कहा जाता था, और उन्हे समाज से बिलकुल बाहर करके देखा जाता था। बाद मे, मुसलमानो के लिए यही शब्द इस्तेमाल मे आया।

अंतर्जातीय विवाहों की सजा आज भी 'इज्जत' के नाम पर होने वाली हत्याओं के माध्यम से रोज और देश के हर कोने मे दी जा रही हैं। संघ परिवार तो हिन्दू एकता निर्मित करने की दुहाई देती है लेकिन इस तरह के जुर्म के खिलाफ विस्तृत कानून को पारित करने के आड़े आती है। इसलिए, आदित्यनाथ के अध्यादेश के लिए उसके जोरदार समर्थन के पीच्छे अनसुनी हो रही उसकी इज्जत के नाम पर हत्याओं पर चुप्पी पर गौर करने की आवश्यकता है।

संघ परिवार वर्णाश्रम धर्म मे किसी प्रकार की त्रुटि को स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए वह यह नहीं मानता की इस्लाम और ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले करोड़ों कामकाजी जातियों के हिंदुओं ने ऐसा वर्णाश्रम धर्म के उत्पीड़न और अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए किया था। इस तथ्य को तमाम लोग जिनमे विवेकानंद भी शामिल है, स्वीकार ही करते हैं और इन अत्याचारों और उत्पीड़न की बहुत ही कटु शब्दों मे आलोचना भी करते हैं। लेकिन संघ परिवार इस सच्चाई से इन्कार कर, धर्म परिवर्तन का कारण घूस और धौंस ठहराता है। जहां भी उसकी सरकार बनती है, वहाँ वह धर्म-परिवर्तन के खिलाफ कानून बना डालता है जैसे की वह अपने ही अतीत पर लगे कलंक को मिटाने पर आमादा है।

मनुस्मृति महिलाओं और उनकी भूमिका के बारे मे बहुत स्पष्ट है। महिलाओं को हमेशा किसी पुरुष के नियंत्रण मे रहना चाहिए। उनके पास संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। चूंकि वे सही निर्णय लेने के काबिल ही नहीं हैं, इसलिए उनको हर समय नियंत्रित और घेरे के अंदर रखना जरूरी है। संघ परिवार का 'लव जेहाद' के बारे मे प्रचार अभियान भी हिन्दू औरताओं को बुद्धू, आसानी से बेवकूफ बनने वाली और बच्चों जैसे भोली ठहराता है। बिलकुल मनुस्मृति की तरह! और, इतनी सदियों के बाद, दोनों का लक्ष्य एक है दृ हिन्दू महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित रखकर उन्हे अपने प्राथमिक कर्तव्य का पालन करने के लिए मजबूर करना। और वह है वर्णाश्रम धर्म की पवित्रता को बचाए रखना।

पूरे संघ परिवार मे आदित्यनाथ मनु के कानूनों के सबसे कठोर और निर्मम समर्थक हैं। उत्तर प्रदेश मे महिलाओं के अधिकारों, जीविका और सुरक्षा पर सबसे भयानक हमले देखने को मिलते हैं। जनवादी अधिकारो और मजदूरों और किसानो के अधिकारों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन कड़वी सच्छाइयों को छिपाने के लिए पूर्वधारणाओं,

घृणा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की दीवारों को लगातार ऊंचा किया जा रहा है। प्रभावशाली संघर्षों की शुरुआत इन दीवारों को गिराकर ही शुरू होगी।

किसान आंदोलन की जान है इसमें महिलाओं,युवाओं और छोटे किसानों की प्रभावी, और महत्वपूर्ण उपस्थिति

संध्या शैली, राज्य उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य समिति

पिछले अठ्ठाईस दिनों से दिल्ली में चल रहे किसानों का आंदोलन आज़ाद भारत के इतिहास में पहला देशव्यापी वर्गीय आंदोलन है। लेकिन इस आंदोलन की विशेषता यह है कि किसान वर्ग अपने पूरे दमखम के साथ अपने सारे वर्गीय सहयोगियों के साथ संघर्ष के मैदान में उतरा हुआ है। देश के 26 किसान संगठनों ने साथ में आकर अपने आंदोलन की दिशा को भी बिल्कुल सही रखा है। उन्हे मालूम है कि उनका आंदोलन केवल केंद्र सरकार के खिलाफ ही नहीं है बल्कि इस सरकार को चलाने वाले पूंजीपतियों अंबानी और अड़ानी जैसों के खिलाफ है। इसीलिये वे जनता को इस मुद्दे पर शिक्षित भी कर रहे हैं ओर उसे अपने आंदोलन की तरफ खींच भी रहे हैं। ऐसी ही महिलायें हैं पंजाब की जो खुद या तो वकील हैं,गृहिणियां हैं, शिक्षिकायें हैं लेकिन दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे किसानों के आंदोलन में आकर भाषण दे रही हैं, लंगर में खाना पका रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, वापस जाकर खेतों मे ंकाम कर रही हैं,कई किसान संगठनों का नेतृत्व भी कर रही हैं।

पंजाब की जो महिलायें दिल्ली के धरने में शामिल नहीं हैं वे भी इस आंदोलन में अपने गांव और शहरों में सक्रिय हैं। वे खेतों और परिवारों की देखभाल करने के साथ साथ जुलूस निकालती हैं, प्रदर्शन करती हैं,भाषण देती हैं, ज्ञापन देती हैं और साथ ही आम जनता के बीच इन कृषि बिलों के संबंध में चलाये जा रहे जागरूकता अभियान की सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। पंजाब में ऐसे करीब 100 स्थानों पर धरने चल रहे हैं जिनका नेतृत्व महिलाओं के हाथों में हैं। संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर पर कई किसान संगठन एकजुट होकर यह आंदोलन चला रहे हैं। इनमें सबसे अलग संगठन उग्रहान का है जिसकी सदस्यता का पचास प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का है। न केवल सदस्यता बल्कि इनकी केंद्रीय नेतृत्व में भी महिलायें बडी संख्या में हैं।

मोगा की करमजीत कौर, बरनाला की हरवीर कौर जो खुद वकील हैं, उनकी सास करमालजीत कौर और संगरूर की भारतीय किसान यूनियन उग्रहान की नेता हरिंदर कौर बिंदु ऐसे ही कुछ नाम हैं। बिंदू जी का कहना है कि संगरूर में हुये एक प्रदर्शन में करीब दस हजार महिलायें शामिल हुयी थीं। उनका कहना है कि इस आंदोलन की विशेषता यह है कि इसने बड़ी संख्या में महिला नेतृत्व का परिचय कराया है। कई महिलायें जो चुप रहती थीं लोगों के सामने बोलने में शर्माती थीं वे पूरे जोश के साथ नारे लगा रही हैं और भाषण दे रही हैं।

मनसा की बलबीर कौर बताती हैं कि कई लड़कियां जो दिल्ली के धरने में शामिल होने जाती हैं वे वापस आकर अपने गांवों में भी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। अपनी उम्र के बीसवे दशक में खयाला गांव की रजविंदर कौर बताती हैं कि मेरे पिता किसान हैं इस नाते मै किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती हुं। मैंने दिल्ली के धरने में चल रहे लंगर में जाकर रोटियां बनायीं और वापस आकर भी इस आंदोलन में हिस्सेदारी कर रही हुं यद्यपि मै पेशे से वकील हुं। रजविंदर कौर ने आंदोलन के लिये नारे बनाये, पोस्टर बनाये हैं।

लेकिन इस अंादोलन ने जिस एक और महत्वपूर्ण बात को उजागर किया है वह है देश विशेष रूप से पंजाब के युवाओं का जबरदस्म रूप से जागरूक होकर इस आंदोलन से जुड़ना। और जब युवा आता है तो अपने साथ नये और अनोखे आंदोलन के तरीके भी लाता है और जोश भी लाता है। पूरे आंदोलन के इलाके में युवा वालंटियर्स की टीमों ने सुरक्षा और शांति का जिम्मा सम्हाले रखा है, सोशल मीडिया पर इस आंदोलन का प्रचार करने के लिये यू ट्यूब पर एक चैनल बन गया है। गोदी मीडिया के अपप्रचार की काट के लिये यहां पर धरने में बैठे किसानों ने अपना अखबार भी निकाल लिया है जिसका नाम ट्राली टाइम्स रखा गया है।

इस आंदोलन को सही अर्थों में वर्गीय आंदोलन कहना उचित ही होगा क्योंकि इसमें सबसे अधिक संख्या में दलित और छोटे किसाप हैं। लेकिन इसकी तैयारी अचानक नहीं हुयी है। इक कृषि बिलों का विरोध दिल्ली जाकर करने के पूर्व पंजाब और हरियाण में एक जागृति अभियान चलाया गया जिसमें फिल्में दिखायी गयीं, यह बताया गया कि बिहार में किसानों की हालात ए पी एम सी कानून खत्म करने के बाद कितनी खराब हो गयी, है, इन कृषि बिलों को लेकर गीत बनाये गये और जागृति अभियान के दौरान गाये गये।

दिल्ली के चारों ओर टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर आदि पर बैठे हजारों किसान,महिलायें,युवा,बच्चे पूरे अनुशासित तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढा रहे हैं। एक वास्तविक भारत की तस्वीर भी वे पेश कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा,राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, के साथ साथ अब उनके साथ मिलने जा रहा है मराराष्ट्र से आ रहा हजारों किसानों का सैलाब।

पक्के इरादे और कारपोरेट के प्रति गुस्से से भरा हुआ यह आंदोलन एक नये भारत का निर्माण कर रहा है जिसमें न केवल पुरूष किसान हैं बल्कि बराबरी से जिम्मेदारी निभा रही महिलायें हंै, जहां पर छोटे बड़े किसान एक साथ हैं जहां पर जाति गत भेदभाव पीछे छूट गये हैं और भगत सिंह उनके आदर्श हैं।

कार्यकर्ता की डायरी

सुनीता पांडे, राज्य अध्यक्ष उत्तराखंड ज म स राज्य समिति

जोश और जुनून के साथ जिंदगी भर सामाजिक सेवा में तत्पर रहने वाली साथी गंगा थापा अब इस दुनिया में नहीं रही।

उत्तराखंड देहरादून के बल्लीवाला चैक में रहने वाली गंगा थापा को लोग प्यार से छामा यानि मौसी कहकर पुकारते थे। शुरुवात से ही छामा कई सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही। हंसमुख और मस्तमौला स्वभाव की गंगा कभी भी किसी की भी मदद के लिए दौड़ पड़ती थी और हमेशा स्वयं के निर्णय से काम करती थी। वह महिला समानता की पक्षधर रही। ईमानदार और कर्त्यनिष्ठ होने के बावजूद उन पर किसी संस्था में कार्य के दौरान झूठा फंसाने की कोशिश हुई तब जनवादी महिला समिति देहरादून उनके साथ खड़ी रही और उनकी मदद की तब 1992 में वह जनवादी महिला समिति की सदस्य बनी ,तीसरे राज्य सम्मेलन में वह राज्य उपाध्यक्ष बनी और मजबूती के साथ संगठन में जुड़ी रही। बल्ली वाला चैक, शास्त्री नगर, कांवली, कोलागर में यूनिट निर्माण उन्होंने किया। पूर्व राज्य उपाध्यक्ष साथी ज्योति ठाकुरी के जिला पंचायत इलेक्शन में जम कर भागेदारी की। चाहे उत्तराखंड आंदोलन के जेल भरो आन्दोलन में और बाद ने सीपीएम की सदस्य बनने पर पार्टी के धरना प्रर्दशन, जेल भरो, चक्का जाम आदि सभी कार्यक्रमों में वह यंग लेडी के रूप में सामने आई । बेटी का विवाह भी उन्होंने अंतर्जातीय किया। उनके अनुभव समिति बार बार लेती रही जिनसे मामलों को सुलझाने में काफी मदद मिलती और वह स्वयं पीड़ित पक्ष की हिम्मत बढ़ाती रहती। अपने आस पास के लोगों को सिलाई कढ़ाई और बुनाई सिखाकर उन्होंने उन्हें रोजगार से जोड़ा और स्वावलंबी बनाया। विगत 3-4 साल से वह कैंसर से पीड़ित रही लेकिन उनकी जिंदादिली इस मायने में देखने को मिली कि 85 वर्ष की उम्र में कोविड महामारी के शुरुवाती दिनों से ही उन्होंने अपनी पेंशन के पैसों से कपड़ा खरीद कर और घर पर पड़े कपड़ो से स्वयं सिलाई कर मास्क तेयार करे और आसपास जरूरतमंदों को लगभग हजार मास्क बांटे। कामरेड गंगा थापा, छामा अंतिम सांस तक समाज सेवा करती रही, उन्होंने जिंदगी से हार नहीं मानी और सभी की प्रेरणा स्रोत बनी रही। उनकी मृत्यु से पूर्व राज्य उपाध्यक्ष साथी इद्रू नौडियाल जब इनके हाल जानने गई तो उन्होने कहा की मैं बिल्कुल ठीक हुं, तुम्हे आगे बहुत कुछ करना चाहिए। जनवादी महिला समिति उनकी बहादुरी को सलाम करते हुऐ उनके पद चिन्हों पर चलने प्रयास करेगी।

पलवल बार्डर पर डटे हुए किसान अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति मध्यप्रदेश की भूमिका

रीना शाक्य, जिला अध्यक्ष,जनवादी महिला समिति ग्वालियर जिला समिति

मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन खतरनाक कानूनों के विरोध में पलवल पर भी 2 दिसंबर से किसान हाइवे पर अपना डेरा डाले हैं अब यह आंदोलन निरंतर व्यापक रूप लेता जा रहा है और आजादी के आंदोलन के बाद यह सबसे बड़ा जनता का वर्गीय आंदोलन है ।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति मध्यप्रदेश का जत्था 9 दिसंबर को पलवल बोर्डर पर ट्रक से 6 घंटे के रास्ते को करीब 15-16 घंटे लगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस ने जत्थे को आगे बढने से रोका तो राजस्थान के भरतपुर होते हुए पलवल पहुंचा, जत्थे में प्रीति सिंह , रीना शाक्य, तबस्सुम खान , गीता जाटव, आकांक्षा धाकड़ ,रेखा शामिल रही ।

मध्य प्रदेश के युवा महिला जत्थे ने किसानों के धरने के इस हिस्से में भी जोश भरा। जोशीले गानों,नारों और भाषणों से प्रभावित होकर धरने के इस मोर्चे पर भी किसानों के घरों से महिलाओं की भागीदारी बढ़ गयी। उसके बाद से

लगातार महिलाओं की शिरकत गानों, भाषणों और नारों के साथ साथ धरना स्थल पर समय समय पर निकलने वाले जुलूसों में बढ रही है।

धरना स्थल पर हुयी सभा में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति मध्यप्रदेश की तरफ से रीना शाक्य ने किसान साथियों को संबोधित करते हुए आंदोलन को समर्थन दिया और कहा कि ये देश की नाकारा सरकारें आंदोलन को बदनाम करने के लिए खालिस्तानियों का आंदोलन कहकर बदनाम कर रही है जबकि यह सरकार पूरे देश को पूंजीपतियों को बेचकर अडानिस्तान व अंबानिस्तान बनाना चाहती हैं और हम सारे लोग अपने हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को एक साथ मिलकर लड़ेंगे ।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का दुसरा जत्था 20 दिसंबर को पलवल बोर्डर पर राज्य अध्यक्ष नीना शर्मा के नेतृत्व में पहुंचा जिसमें ग्वालियर व भोपाल से युवा महिला साथियों ने भागीदारी की।

दूसरे जत्थे में भी गीतों व नारों के माध्यम से प्रीति, गीता, साधना खुशबू, गायत्री,रितिका रीना, सलमा व अन्य महिला साथियों ने किसान साथियों का उत्साह वर्धन किया ।

संगठन की राज्य अध्यक्ष नीना शर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा आपकी इस लड़ाई में महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ में है क्योंकि महिलाएं भी बराबर से खेती किसानी को संभालती है, और इस कानून से शहरी क्षेत्र भी की महिलाएं भी प्रभावित होंगी अगर खेती को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा तो सबसे पहले सरकारी राशन और मिड डे मील बंद होगा जिसका असर हम सभी की जिंदगियों पर पड़ेगा ।

25 दिसंबर को जबलपुर से भी जनवादी महिला समिति का नेतृत्व पलवल बॉर्डर पर पहुंच चुका है जिसमें जबलपुर जिला सचिव कमर ज़बीं और जिला समिति सदस्य अंजना कुररिया हैं।

इस आंदोलन मुख्य रूप से जो देखने वाली बात है की यहा भोजन और ठहरने की व्यवस्था सड़क के मुख्य हाइवे पर की गई है और अगर भोजन की व्यवस्था को देखा जाए तो लगता है लगभग 6 महीने का राशन किसान साथ में लेकर चले हैं और और सड़क को आशियाना और आसमा को छत बनाए हुए हैं

किसान अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जो मौजूदा सरकार है वह बहुत ही नाकारा किस्म की है और यह लड़ाई लंबी है और जीत कर ही लौटना है।

मैं घास हुं

-पाश

मैं घास हुं

मैं आपके हर किये धरे पर उग आउंगा

बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर

बना दो होस्टल को मलबे का ढेर

सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर

मेरा क्या करोगे

मैं तो घास हुं हर चीज़ पर उग आउंगा

बंगे को ढेर कर दो

संगरूर मिटा डालो

धूल में मिला दो लुधियाना जिला

मेरी हरियाली अपना काम करेगी

दो साल दस साल बाद

सवारिंयां फिर किसी कंडक्टर से पूछेंगी

यह कौन सी जगह है

मुझे बरनाला उतार देना

जहाँ हरे घास का जंगल है

मैं घास हुं,मैं अपना काम करूंगा

मैं आपके हर किये धरे पर उग आउंगा।

फॉलो करे :

फेसबुक: https://www.facebook.com/AIDWA/

वेबसाइट: http://www.aidwaonline.org